

FROM No.III

फॉर्म अहकाम

(बिचक 26)

अज अदालत..... सहायक कमिश्नर (SDO) बायतु..... मुकाम.....

..... येनाम जे नाराम गणो
किस्म मुकदमा नं. 33/22 सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
17/1/22	<p>प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री <u>EHOSHITIK</u></p> <p>ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा <u>111, 128</u></p> <p>राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है।</p> <p>जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोंडेंट जरिये नोटिस/सम्पन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक <u>21/2/22</u> को पेश हो।</p>	
21/02/22	<p>सहायक कमिश्नर (SDO) बायतु</p> <p>प्रार्थी वकील उपरिपत्र/विप्रार्थी गणो के नोटिस तामिल शुद्ध प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली विप्रार्थी गणो/विप्रार्थी गणो वापसु तामिल अनु उपरिपत्र। त्यापारण समय तीन वार कावज लगाई गई अन्तिम कावज 5:45 PM पर लगाई गई विप्रार्थी गणो स्वयं या उनकी नोटिस देई अधिकतर उपरिपत्र नही देसा लिहाजा विप्रार्थी गणो के बिलड एडलर (म) द्वारा वादी कमल से लाई जाइर वास्ते वदल पत्रावली दिनांक 07/03/2022 को पेश हो</p>	

सहायक कमिश्नर (SDO) बायतु

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी बायतु (बाडमेर) मुकाम बायतु


हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्यस जज

तारीख हुक्म

07/03/2022

प्रार्थी वकील उपस्थित/ विप्रार्थीगण बावजुद तामिल अनुपस्थित/ प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खातेदारी खेत सेढा सेढा आए हुए है। प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के खेत की सीमाओं पर पुरानी माढे एवं कणे बने हुए थे जो वर्तमान में आंधियों की वजह से बिखर गए है जिससे प्रार्थी एवं विप्रार्थीगणों के बीच खेत की सीमाओं को लेकर हमेशा विवाद बना रहता है इस कारण प्रार्थी को अपने खेत की सीमाओं का सही ज्ञान करवाने बाबत नेखमबंदी करवानी आवश्यक है इसलिए प्रार्थी के नेखमबंदी आवेदन को स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी आदेश किया जावें।

अतः प्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर प्रार्थी का नेखमबंदी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधीनस्थ: भू. अ. निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर कमीशनर शुल्क जमा कराकर करें। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो, पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो।


न्यायिक कलक्टर
(SDO) बायतु

क्रमांक / वाद / 2022 / 9
प्रार्थी

1. खेताराम पुत्र ताजाराम
जाति जाट, निवासी सा
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिड़ा, जि.
प्रार्थी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक / वाद / 2022 /
प्रार्थी

91

बनाम

दिनांक:- 07/03/2022
विप्रार्थीगण

1. खेताराम पुत्र ताजाराम
जाति जाट, निवासी सांईयों की ढाणी,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिडा जिला बाडमेर

1. जेताराम पुत्र विरमाराम वगैरा 13
जाति जाट, निवासी धीरोणियों की ढाणी,
पटवार मण्डल रतेऊ,
तहसील गिडा (बाडमेर)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या - 33/2022

आदेश

प्रार्थीगण के खातेदारी खेत मौजा - सांईयों की ढाणी, पटवार मण्डल - रतेऊ, तहसील - गिडा, जिला- बाडमेर के खेत खसरा नं. 366, 372, 832 रकबा क्रमशः 0.1619, 28.8783, 0.0971 हैक्टर भूमि का साधारण सीमाज्ञान करने में राजस्व पटवारी विफल रहे एवं सीमा को लेकर मौके पर तनाजा है। खातेदार को यह अधिकारी है कि वह अपने खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान/नेखमबंदी करा सकता है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार गिडा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि कमीशनर स्वयं या सहायक कमीशनर से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों की पक्की नेखमबंदी मौके पर निर्धारित कमीशनीर शुल्क 500/- जमा कराकर करें तथा पालना रिपोर्ट पेश करें। अपेक्षित होने पर संबधित थानाधिकारी से सुविधा इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।



कमांक / वाद / 2022 / 92 to 96
प्रतिलिपि- निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिडा
2. पटवारी हल्का गिडा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी श्री खेताराम पुत्र ताजाराम
4. विप्रार्थी श्री जेताराम पुत्र विरमाराम वगैरा 13
5. पुलिस थानाधिकारी गिडा।

(जगदीश सिंह अग्निषु)
उपखण्ड अधिकारी बायतु
दिनांक:- 07/03/2022

सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी बायतु
(SDO) गिडा